(d) the allocations made by Government for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) The survey in respect of the entire Indo-Bangladesh border for setting up of pillars is not yet completed. However, the Joint Field Inspection in the West Tripura-Habigonj sector by the Director of Settlement and Land Records, Tripura and the Director General, Land Records and Surveys, Government of Bangladesh was undertaken from February 15—18, 1995. As far as the border in the Tripura sector is concerned, the construction of boundary pillars except in the Muhuri Char area along the Indo-Bangladesh border has been completed.

(c) and (d) A project for constructing 896 kms. border fence on Indo-Bangladesh border has been approved at an estimated cost of Rs. 128.03 crores. Border fencing is already under way.

कोंकण क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड

4591. श्री गोविन्दराव आदिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग से विकास बोर्ड बनाने का अनुरोध किया है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार कब तक संविधान में संशोधन करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) सरकार का यह मत है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अधीन 9.3.1994 को गठित किए गए विकास बोर्ड द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कोंकण और क्षेत्र की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा । अतः इस प्रयोजन हेतु संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है ।

गृह मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी

4592. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न ग्रुपों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं ;

(ग) इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त हैं ; और

(घ) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है । (**नीचे** देखिए)

(घ) रिक्त पदों के भरे जाने के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे को भरने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामान्यतः आरक्षित पदों को आगामी वर्षों में की जाने वाली भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाता है ।